समाहरणालय, बेगूसराय

(जिला निर्वाचन शाखा)

पत्रांक ..../ दिनांक ....

प्रेषक,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, बेगूसराय।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग
बिहार, पटना।

विषय – **फोटो निर्वाचक सूची एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्माण हेतु आमंत्रित निविदा को दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि फोटो निर्वाचक सूची एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र के निर्माण हेतु इच्छुक फर्मो से आमंत्रित अल्पकालीन निविदा संबंधी सूचना संलग्न कर भेजा जाता है।

अनुरोध है कि उक्त निविदा संबंधी सूचना को दो दैनिक सामाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाये।

अनुलग्नक – यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

ह०/–

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, बेगूसराय।

ज्ञापांक 670/ दिनांक 30.8.2016

प्रतिलिपि – जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निविदा संबंधी सूचना की प्रति संलग्न करते हुये निदेशित किया जाता है कि इसे जिला के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगें।

30/8/2016

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, बेगूसराय।

समाहरणालय, बेगूसराय

(जिला निर्वाचन शाखा)

अल्पकालीन निविदा

बेगूसराय जिला के सभी सातो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूची एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक) के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। अनुभवी एवं योग्य फर्म जो तकनीकी शर्तो को पूरा करते हैं, सीलबन्द लिफाफे में एक तकनीकी एवं एक वित्तीय निविदा जिला निर्वाचन कार्यालय, बेगूसराय में दिनांक 14.09.2016 को 04.00 बजे अपराह्न तक दे सकते हैं। तकनीकी निविदा में सफल होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। प्राप्त सभी निविदायें दिनांक 15.09.2016 को 01.00 बजे अपराह्न में दर निर्धारण समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें इच्छुक निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। निर्धारित शर्त्त एवं कार्य की विवरणी एवं निविदा प्रपत्र दिनांक 14.09.2016 को अपराह्न 02.00 बजे तक जिला निर्वाचन नाजिर के पास ₹500.00(पांच सौ रूपये) नगद जमा कर नजारत रसीद लेकर कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही निविदा देना होगा, अन्य प्रपत्र में दिया गया निविदा मान्य नहीं होगा। विस्तृत जानकारी हेतु बेगूसराय जिले के बेबसाईट **http://begusarai.bih.nic.in** एवं सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट **http://prdbihar.in** पर देखा जा सकता है।

निविदा की शर्ते

(क) तकनिकी निविदा की शर्ते :–

1. फर्म को बिहार वाणिज्य कर (VAT), सेवा कर (Service Tax), लघु उद्योग एवं बिहार Shop & Establishment Act के अन्तर्गत कम से कम पाँच वर्षों से बिहार में निबंधित होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
2. फर्म की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। इस हेतु फर्म को पिछले तीन वित्तीय वर्षो (2012–13, 2013–14, 2014–15) का ऑडिट रिपोर्ट निविदा में संलग्न करना होगा, जिसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के ₹1,00,00,000/– (एक करोड़ रूपये) का टर्न ओवर ऑडिटेड संबंधी रिपोर्ट संलग्न करना होगा।
3. निविदा के साथ ₹25,000.00 (पच्चीस हजार रूपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का हो तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी, बेगूसराय के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा।
4. निविदादाता फर्म को लगातार तीन वित्तीय वर्षो (यथा वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16) में प्रतिवर्ष बिहार राज्य के न्यूनतम 10 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का फोटो युक्त मतदाता सूची (PER) एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) निर्माण कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है। अनुभव हेतु विधान सभा क्षेत्रों से संबंधित जिला द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। सब कॉन्ट्रैक्ट के अधीन किया गया कार्य अनुभव की श्रेणी में नहीं गिना जायेगा।

5. निविदादाता फर्म का कार्यालय बिहार में होना अनिवार्य है जिसका स्वामित्व प्रमाण–पत्र/किराया की स्थिति में मकान मालिक से अनुबंध की प्रति या किराया प्राप्ति रसीद की प्रति संलग्न करनी होगी।
6. निविदादाता फर्म को ISO 9001:2008 सर्टिफिकेशन का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. फर्म को EPFO (Employees Provident Fund Organisation) एवं ESIC (Employees State Insurance Corporation) के अन्तर्गत निबंधित होना अनिवार्य है। फर्म में दिखाये गये कर्मी Company / Firm के Payroll पर कार्यरत हैं, इस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
8. आवंटित कार्य की Sub Contracting किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगी तथा यदि ऐसा पाया जाता है, तो तुरंत कार्यादेश वापस ले लिया जाएगा एवं जमानत की राशि जब्त करते हुए कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इस आशय का शपथ–पत्र तकनिकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
9. फर्म के पास पर्याप्त आधारभूत संरचना, यथा– कम्प्यूटर / कम्प्यूटर ऑपरेटर /जेनरेटर/ डिजिटल कैमरा/ लेमिनेशन मशीन/ यू0पी0एस0 आदि का होना आवश्यक है। फर्म को इसकी उपलब्धता से संबंधित स्वामित्व संबंधी शपथ–पत्र पूर्ण विवरणी (Specifications) के साथ देना होगा। फर्म द्वारा दिखाए गए संसाधनों (Resources) की उपलब्धता की समीक्षा के उपरान्त ही फर्म को कार्यादेश देने पर विचार किया जाएगा।
10. फर्म द्वारा प्रयुक्त होने वाले सभी कम्प्यूटर में Licenced Operating System और Anti Virus Software होना अनिवार्य है। फर्म को सभी कम्प्यूटर में Licensed Operating System एवं Anti Virus Software पर कार्य करने हेतु शपथ–पत्र देना होगा।
11. फोटोयुक्त मतदाता सूची निर्माण के क्रम में लेजर प्रिन्ट आउट निकालने हेतु सिर्फ A-4 साईज के 75GSM पेपर का प्रयोग करने संबंधी शपथ–पत्र देना होगा।
12. फोटोयुक्त मतदाता सूची एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र में उपर्युक्त कागज एवं पोलियेस्टर फिल्म का नमूना भी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
13. फर्म को फोटो निर्वाचक सूची तथा ईपिक निर्माण के लिए लेजर प्रिन्ट आउट निकालने हेतु सिर्फ ओरिजिनल कॉर्टिज का प्रयोग करने संबंधी शपथ–पत्र देना होगा।
14. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पेपर प्रिन्टेड ब्लैक एण्ड वाईट ईपिक के लिए निर्धारित किया गया स्वरूप एवं विशिष्टियां निम्नवत है :–
    a) Paper quality for identity Card shall not be less than 100 GSM milky white paper. The EPIC shall be produced by single side printing on paper and folding. Six Cards will be printed on A4 Size paper.
    b) Lamination Pouch for identity Card 125 Micron (75 Microns Polyester & 50 Micron Polymer, Transparent & Colorless)
    c) Card Size : 8.4 cm vertical and 5.0 cm horizontal.
15. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पी.भी.सी. प्रिन्टेड रंगीन ईपिक कार्ड के लिए निर्धारित किया गया स्वरूप एवं विशिष्टियां निम्नवत है :–

phogograph.

e) Card Size : 8.6 cm vertical and 5.4 cm horizontal.
f) Thickness : 0.6 mm to 0.8 mm.
g) Lamination : 60 microns overlay.

16. मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्वाचक डाटाबेस में संधारित डिजिटल छायाचित्रों (JPEG Format) के माध्यम से निर्मित किए जायेंगे। छायाचित्र का आकार एवं विशिष्टियाँ निम्नवत होगी :-

a) Size of Photographs : 3.2 cm vertical and 2.4 cm horizontal
b) Resolution : 320 pixels x 240 pixels
c) High quality photographs in colour and in portrait mode which shall show a close up of the applicant's head and the top of the shoulders. The face shall take 75% of the vertical dimension of the picture.

17. फर्म को सभी कार्य जिला मुख्यालय, बेगूसराय मे करना होगा तथा इसके लिए आवश्यक संसाधन यथा विद्युत/ इंटरनेट/ जेनरेटर/कार्य स्थल आदि की व्यवस्था फर्म को स्वयं करनी होगी। इस आशय का शपथ–पत्र तकनिकी निविदा के साथ देना होगा।
18. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
19. फर्म को भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा निर्धारित शर्त्तो एवं दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने संबंधी शपथ पत्र देना होगा।

(ख) वित्तीय निविदा

1. तकनिकी निविदा में दिए गएं शर्त्तो का पालन करने वाले सफल फर्मो की हीं वित्तीय निविदा संबंधी लिफाफा जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी। वित्तीय निविदा में संबंधित सभी कार्यो का दर निर्धारित निविदा प्रपत्र में लिखना आवश्यक है।
2. चयनित फर्म को सफलतापूर्वक समयबद्ध ढंग से कार्य निष्पादन के उपरान्त भुगतान किए जाने वाले विपत्र पर नियमानुसार आवश्यक करों की कटौतियाँ कर ली जायेंगी।
3. निर्धारित समय सीमा पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर प्रति दिन बिलम्ब के लिए ₹1000.00(एक हजार रूपये) की कटौती की जाएगी तथा एक सप्ताह के उपरांत भी कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करत्ते हुए जमा जमानत राशि जब्त कर फर्म को काली सूची में डाल दी जाएगी।

(ग) सामान्य शर्ते

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का लिफाफा अलग--अलग होना अनिवार्य है।
2. चयनित फर्म को कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व निविदा में जमा किये गये वैट, आयकर की अभिप्रमाणित प्रति एवं अनुभव प्रमाण–पत्र की मूल प्रति अधोहस्ताक्षरी के अवलोकन हेतु प्रस्तुत करना होगा।

3. वित्तीय निविदा एवं तकनिकी निविदा अपूर्ण अथवा बिना हस्ताक्षर अथवा बिना मुहर के पाये जाने पर उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. कार्य समाप्ति के बाद निर्वाचन से संबंधित सभी सम्पूर्ण डाटा अपने कम्प्यूटर से पदाधिकारी के देख–रेख में हटाना होगा।
5. निविदादाता यदि Limited/Private Limited Company है तो उसे Company Act 1956 अंतगर्त निबंधित होना चाहिए। वैसे निविदादाता जो Proprietorship or Partnership Firm के रूप में निबंधित है, निविदा के लिए मान्य है, जबकि निविदादाता का Consortium होना मान्य नहीं होगा।
6. फोटो निर्वाचक सूची एवं मतदाता फ़ोटो पहचान पत्र (ईपिक) निर्माण का कार्य अन्योनाश्रित होने के कारण कार्यहित में दोनों कार्यो के लिए एक ही एजेन्सी का चयन किया जायेगा।
7. बगैर कोई कारण बताए निविदा को रद्द करने, संशोधित करने, कार्यहित में एक से अधिक फर्मो में कार्य को आवंटित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा एवं किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अन्तिम होगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
–सह–
जिला पदाधिकारी, बेगूसराय।